प्रेस नोट दिनांक 29.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या की घटना का सफल अनावरण, थाना उदयपुर पुलिस द्वारा किया गया 01 शातिर हत्यारे को गिरफ्तार

गला दबाकर की गई थी मृतका की हत्या

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा स्वाट टीम की मदद से इलेक्ट्रॉनिक/ मैनूअल साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को राजापुर कोट से नसीरपुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री दिनांक 26/10/2024 समय की रात्रि को घर से कही चली गयी थी। जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर लाश को गाँव के पास खेत में फेंक दिया था। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर मु0अ0सं0 180/2024 धारा 103 (1) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 26.10.2024 को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत गाँव पूरे कुर्मिन मजरे किशुनगढ़ में खेत में शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी लालगंज के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण/ गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को सख्त निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के नेतृत्व में दिनांक 29.10.2024 को थानाध्यक्ष श्री राधेबाबू मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार, उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, का0 आशू चौधरी, का0 आकाश चौधरी व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव, हे0का0 धनन्जय राय, का0 अरविन्द दुबे, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 आशूतोष पाण्डेय, का0 श्रीराम सिंह द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक/ मैनूअल साक्ष्यों के आधार पर मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 180/2024 धारा 103 (1) बीएनएस सें संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्त 01. विजय कुमार मौर्या पुत्र रामफेर मौर्या निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा मजरे किशुनगढ़ थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत राजापुर कोट से नसीरपुर की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मैं मृतका से करीब 06 महीने से बातचीत करता था। लेकिन साहब मुझे शक था कि वह कई लोगों से बातचीत करती थी। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और गुस्से मे मैंने उसका गला दबा दिया जिससे उसकी मौत हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. विजय कुमार मौर्या पुत्र रामफेर मौर्या निवासी ग्राम मुराईन का पुरवा मजरे किशुनगढ़ थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष श्री राधेबाबू मय हमराह उ0नि0 सचिन कुमार, उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, का0 आशू चौधरी, का0 आकाश चौधरी थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

स्वाट टीम- प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव, हे0का0 धनन्जय राय, का0 अरविन्द दुबे, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 आशूतोष पाण्डेय, का0 श्रीराम सिंह।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 25000 रूपये इनामिया 01 गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
सर्विलांस टीम की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर इनामियां अभियुक्त गिरफ्तार
थाना सांगीपुर के आरक्षी गिरजा शंकर ने 25000 रूपये इनामिया गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
आरक्षी गिरजा शंकर ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना उदयपुर के आरक्षी गिरजा शंकर व सर्विलांस टीम के आरक्षी प्रवीण कुमार व आरक्षी सनोज कुमार को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र
थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत बीरशाहपुर मोड़ से 25000 रूपये इनामिया गैंगस्टर एक्ट का वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
गिरफ्तार इनामिया अभियुक्त लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त है अपराधी

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।
इसी क्रम में थाना उदयपुर के बहादुर आरक्षी गिरजा शंकर के सहयोग से आज दिनांक 29.10.2024 को थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 203/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त 01. शेखर पासी पुत्र रामफेर सरोज निवासी ग्राम आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत बीरशाहपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. शेखर पासी पुत्र रामफेर सरोज निवासी ग्राम आमीशंकरपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 09/2024 धारा 392, 506, 411 भादवि0 थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 31/2024 धारा 394, 411 भादवि0 थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 203/2024 धारा 2/ 3 उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 226/2021 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।
05. मु0अ0सं0 245/2021 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि0 थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।